सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 365, वर्द्धमान प्लाजा, तृतीय तल, सेक्टर–3, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, दूरभाष : 0111–49091417
सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, वेबसाइट : www.sonalmercantile.in, ईमेल आईडी : sonalmercantile@yahoo.in

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणाम

(लाख में, ईपीएस छोड़कर)

क्र सं	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष
		30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	(लेखा परीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखा परीक्षित)
1	कुल आय	1005.12	963.88	592.44	1969.00	1161.19	2646.73	1005.12	963.88	592.44	1969.00	1161.19	2646.73
2	कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व लाभ	351.44	344.99	247.86	696.43	485.91	1051.62	351.44	344.99	247.86	696.43	485.91	1051.62
3	कर पश्चात् लाभ (आपवादिक मदों के उपरांत)	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.86	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.87
4	कुल व्यापक आय (कर उपरांत लाभ/हानि तथा कर उपरांत अन्य व्यापक आय से समाविष्ट)	262.86	258.30	185.14	521.15	363.28	784.86	523.31	503.26	455.29	1026.56	917.95	4187.12
5	प्रदत्त समता अंश पूंजी	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85	1473.85
6	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का प्रति अंश अंकित मूल्य)												
	क) मूलभूत (रु. प्रति अंश)	1.78	1.75	1.26	3.54	2.46	5.33	4.05	3.90	3.09	7.95	6.23	13.93
	ख) तरलीकृत (रु. प्रति अंश)	1.78	1.75	1.26	3.54	2.46	5.33	4.05	3.90	3.09	7.95	6.23	13.93

टिप्पणियां :

1) उपरोक्त एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का एक सारांश हैं। समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट (www.sonalmercantile.in) पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

2) दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के उपरोक्त एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा इसके पश्चात् निदेशक मंडल ने 09 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया।

कृते सोनल मर्कन्टाइल लिमिटेड
हस्ता/–
विक्रम गोयल
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00381115

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 नवंबर, 2023

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली–110 091
दूरभाष : 0120–2516495, फैक्स : 0120–2516440
सीआईएन नंबर : L45101DL1996PLC315772, वेबसाइट : www.ntbcl.com, ईमेल : ntbcl@ntbcl.com

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त अर्द्धवर्ष		समाप्त वर्ष
		30.09.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	30.09.2022 लेखापरीक्षित	30.09.2023 लेखापरीक्षित	30.09.2022 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित	30.09.2023 लेखापरीक्षित	30.06.2023 अलेखापरीक्षित	30.09.2022 लेखापरीक्षित	30.09.2023 लेखापरीक्षित	30.09.2022 लेखापरीक्षित	31.03.2023 लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	परिचालनों से कुल आय	490.80	375.33	789.68	866.13	1,440.41	2,681.83	490.87	375.41	789.95	866.28	1,440.71	2,682.84
II	कराधान पूर्व अवधि हेतु लाभ / (हानि)	(889.11)	(916.62)	(787.15)	(1,805.73)	(1,668.39)	(3,527.51)	(887.20)	(919.14)	(778.81)	(1,806.34)	(1,661.35)	(3,512.90)
III	परिचालनरत् परिचालनों से निवल लाभ / (हानि)	(889.11)	(916.62)	(787.15)	(1,805.73)	(1,668.39)	(3,527.51)	(887.23)	(919.14)	(778.98)	(1,806.37)	(1,661.52)	(3,513.25)
IV	अवधि हेतु कुल अन्य व्यापक आय	0.19	0.29	1.66	0.48	1.19	1.16	0.27	0.38	2.12	0.65	1.73	1.51
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(888.92)	(916.33)	(785.49)	(1,805.25)	(1,667.20)	(3,526.35)	(886.96)	(918.76)	(776.86)	(1,805.72)	(1,659.79)	(3,511.74)
VI	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10 का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	आरक्षित (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोडकर)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,003.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,998.40
VIII	आय प्रति अंश (रु.) मूलभूत	(0.48)	(0.49)	(0.42)	(0.97)	(0.90)	(1.89)	(0.48)	(0.49)	(0.42)	(0.97)	(0.89)	(1.89)
	तरलीकृत	(0.48)	(0.49)	(0.42)	(0.97)	(0.90)	(1.89)	(0.48)	(0.49)	(0.42)	(0.97)	(0.89)	(1.89)

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणियां :

1) उपरोक्त परिणामों को कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा एक लेखापरीक्षण के अधीन रखा गया है, लेखापरीक्षण समिति द्वारा इनकी समीक्षा की गई है तथा 9 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है।

2) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 को अपने निर्णय में 2012 में दायर एक जनहित याचिका (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देनेवाली और रियायत समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग करनेवाली) पर कंपनी को शुल्क लगाने और संग्रह करने से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने को बंद करने का निर्देश दिया, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर, 2016 से निलंबित कर दिया गया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है और उक्त निर्णय पर एक अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।

दिनांक 11 नवंबर 2016 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक से इनकार करते हुए अपना अंतरिम आदेश जारी किया और यह सत्यापित करने के लिए सीएजी से सहायता मांगी कि क्या रियायत समझौते के संदर्भ में परियोजना की 'कुल लागत' कंपनी द्वारा वसूली की गई अथवा नहीं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है और पीठ ने 14 सितंबर, 2018 को निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए।

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को यह भी अधिसूचित किया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित, रियायत समझौते के तहत 'कानून में बदलाव' का गठन करता है और रियायत समझौते में संशोधन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि कंपनी को काफी हद तक उसी कानूनी, वाणिज्यिक और आर्थिक स्थिति में रखा जा सके जैसे कि यह कानून में उक्त बदलाव से पहले थी। चूंकि नोएडा ने प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए कंपनी ने नोएडा को मध्यस्थता की एक सूचना भेजी था।

मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और कंपनी और नोएडा दोनों ने अपने दावे और प्रतिदावे प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, नोएडा ने मध्यस्थता कार्यवाहियों को बनाये रखने पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 10 अगस्त, 2018 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था।

नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसका निपटारा, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2019 को, नोएडा को कोई राहत दिए बिना, कर दिया गया है।

नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कार्यवाहियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

दिनांक 31 जनवरी 2020 को कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम रोक को हटाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। कोविड–19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित थी। तात्कालिकता पत्र दाखिल करने के अनुसरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021 को मामले की सुनवाई की गई और उसके बाद इसे 26 अक्टूबर, 2021 के लिए पोस्ट किया गया।

इस बीच, कंपनी को 4 अक्टूबर, 2021 को नोएडा से 30 सितंबर, 2021 की मांग का एक अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें नोएडा ने उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा देय रु. 26.05 करोड़ की कथित मांग उठाई, ऐसा न करने पर नोएडा ने डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा स्थल पर लगे सभी विज्ञापन प्रदर्शन हटाने की धमकी दी। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर अत्यावश्यकता/उल्लेख पत्र के आधार पर, मामले को 26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। नोएडा पर कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी विकास कार्यक्रमों की जानकारी को देने के बावजूद नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड से लगे समस्त विज्ञापन प्रदर्शनों को गैरकानूनी तरीके से हटा दिया।

इसके अलावा, 26 अक्टूबर, 2021 को समय की कमी के कारण मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप में मामले की तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले को 9 नवंबर, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और बाद में 1 दिसंबर, 2021 और 7 दिसंबर, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। इसके बाद, 9 दिसंबर, 2021 को मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2021, 6 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 को सुनवाई की गई। दिनांक 19 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2021 को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को कंपनी द्वारा दायर 2016 की एसएलपी के परिणाम के अधीन, प्रति माह 125 रुपये प्रति वर्ग फीट के अग्रिम भुगतान पर आउटडोर विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।

एसएलपी को अंतिम निपटान के लिए 29 मार्च, 2022 को पोस्ट किया गया था, और उसके बाद 10 मई, 2022, 23 अगस्त, 2022, 18 अक्टूबर, 2022, 2 नवंबर, 2022 और 10 जनवरी, 2023 को पोस्ट किया गया था, लेकिन सभी अवसरों पर समय की कमी के कारण इसे लिया नहीं जा सका। इसके बाद, मामले की सुनवाई 27 जुलाई, 2023 को हुई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने और उक्त निश्चित तिथि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया है और मामले को 25 सितंबर, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। दिनांक 25 सितंबर, 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विद्वान पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि

प्रतिवादियों को सीएजी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की गई है और इस प्रकार मामले को 21 नवंबर, 2023 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

रियायती समझौते (मुआवजे और अन्य उपायों से संबंधित) के प्रावधानों पर निदेशक मंडल द्वारा रखी गई कानूनी राय और निर्भरता के आधार पर, कंपनी को भरोसा है कि अमूर्त और अन्य परिसंपत्तियों का अंतर्निहित मूल्य क्षीणग्रस्त नहीं हैं।

कंपनी प्रोजेक्ट एसेट्स का अनुरक्षण करने सहित रियायती समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखती है।

3) दिनांक 20 सितंबर, 2021 को कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत आय कर विभाग से एक मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें भूमि को एक राजस्व सहायिकी के रूप में विचारित करके, प्राथमिक रूप में भूमि के मूल्यांकन के आधार पर रु. 46.23 करोड़ की मांग की गई है।

कंपनी ने 30 सितंबर, 2021 को मूल्यांकन अधिकारी से जुर्माना कार्यवाही को स्थगित रखने का अनुरोध किया है और उपरोक्त मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध 19 अक्टूबर, 2021 को आय कर आयुक्त (अपील) और राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दायर की है।

दिसंबर 2019 के दौरान, कंपनी को आय कर विभाग से आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए एक मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद के आधार पर क्रमशः रु. 357 करोड़ रु. 383.48 करोड़ की मांग की गई थी, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के बकाया, भूमि और अन्य वसूलियों के मूल्यांकन के संबंध में है। कंपनी ने प्रथम स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत शुरू किये गये अनुसार एक अपील दायर की है, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए एनएफएसी से आय कर अधिनियम 1961 की धारा 270ए के तहत 15 मई 2021 को एक कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ है। हालाँकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि जुर्माने की कार्यवाहियों को स्थगित रखा जाए क्योंकि गुण–दोषों के आधार पर की जानेवाली अपीलें जो हैं वे वर्तमान में आय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं।

आय कर विभाग ने, पहले के वर्षों में, रु. 1,340.03 करोड़ की मांग की थी, जो मुख्य रूप में भूमि आवंटन के संबंध में टोल और राजस्व सब्सिडी से भविष्य में वसूल किए जाने वाले निर्दिष्ट रिटर्न के अतिरिक्त बकाया के संबंध में थी। दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश की प्राप्ति के अनुसार, कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2006–07 से 2014–15 के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, आय कर विभाग, नई दिल्ली से मांग का एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो सीआईटी (ए) के उक्त आदेश को प्रभावी करता है, जिसके द्वारा रु. 10,893.30 करोड़ की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी। मांग में वृद्धि मुख्यतः भूमि के मूल्यांकन के कारण थी। कंपनी ने आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर 2018, 2 जनवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 को की गई और 15 अक्टूबर 2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी(ए), नोएडा ने आकलन वर्ष 2006–07 से 2014–15 के लिए एक जुर्माना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर आकलन अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में रु. 10,893.30 करोड़ का जुर्माना लगाया। कंपनी ने आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में एक स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई आईटीएटी ने 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की, जिसने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।

दिनांक 21 अप्रैल 2022 को, कंपनी ने माननीय आईटीएटी के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में मामले की सुनवाई आईटीएटी द्वारा 6 मई 2022 को की गई। स्थगन आवेदन के साथ गुण–दोषों के आधार पर की गई अपील 21 जुलाई 2022 और 20 अक्टूबर 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट की गई थीं। हालांकि विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील द्वारा स्थगन की मांग के बाद से मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामला 25 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

दिनांक 25 जनवरी 2023 और 15 मार्च 2023 को, माननीय आईटीएटी के वही विद्वान सदस्यगण दो अलग–अलग पीठों की अध्यक्षता कर रहे थे और समय की कमी के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। चूंकि अपीलें स्थगन के दायरे में आती हैं, तदनुसार कंपनी के वकील के अनुरोध पर, माननीय आईटीएटी ने विभाग को सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् 5 जून 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कंपनी ने 5 जून 2023 को माननीय आईटीएटी से मामले पर बहस करने के लिए दो स्पष्ट तिथियों का अनुरोध किया और सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् 26 जुलाई 2023 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। तदनुसार, मामले की सुनवाई, बहस और प्रतिवाद 26 जुलाई, 2023, 1 अगस्त 2023 को किया गया और 2 अगस्त 2023 को यह समाप्त हुआ। नतीजतन, 8 अगस्त 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, माननीय आईटीएटी ने मूल्यांकन वर्ष 2006–07 से 2011–12 के लिए अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें राजस्व की अपीलें निरस्त कर दी गईं और कंपनी की अपील की अनुमति दी गई, इस प्रकार रु. 23,127 करोड़ के आईटीएटी के साथ अपील में कुल मांग का लगभग 72 प्रतिशत निस्तारित किया गया। आकलन वर्ष 2012–13 से 2014–15 से संबंधित लंबित अपीलों की सुनवाई की अगली तिथि 11 अक्टूबर 2023 तय की गई थी। हालांकि, 11 अक्टूबर 2023 को विभाग द्वारा नियुक्त विशेष वकील ने स्थगन की मांग की और मामला अब 21 दिसंबर 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

4) दिनांक 21 मई 2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दायर एक शपथपत्र के संदर्भ में, 15 अक्टूबर 2018 की कट–ऑफ तिथि ("कट–ऑफ तिथि") प्रस्तावित की गई थी। माननीय एनसीएलएटी ने दिनांक 12 मार्च 2020 के अपने आदेश के तहत नए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क को इसके संशोधनों के साथ अनुमोदित कर दिया है। उक्त आदेश में, माननीय एनसीएलएटी ने कंपनी सहित आईएल एंड एफएस और इसकी समूह कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने की 'कट ऑफ' तिथि के रूप में 15 अक्टूबर 2018 को अनुमोदित किया है। तदनुसार, कंपनी ने 15 अक्टूबर 2018 ("कट–ऑफ तिथि") से अपने सभी ऋणों और ऋणों पर कोई ब्याज प्रदान नहीं किया है।

5) पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी के साथ किए गए दिनांक 23 अगस्त 2018 और 1 नवंबर 2018 के लाइसेंस समझौते और दिनांक 1 जुलाई 2019 के अनुशेष के अनुसार, कंपनी ने उक्त अनुबंध को उसके प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिया है। पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी ने कंपनी के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की है। इस संबंध में मामले की सुनवाई विद्वान मध्यस्थ द्वारा 6 दिसंबर 2022, 9 दिसंबर 2022, 15 दिसंबर 2022, 21 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2023, 13 फरवरी 2023, 3 मार्च 2023, 11 मार्च 2023, 4 मई 2023, 7 जुलाई 2023, 17 अगस्त 2023 और 10 अक्टूबर 2023 को की गई है। दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को संशोधन आवेदन पर बहस पूरी हो गई और उस पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई की अगली तिथि अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

कंपनी ने 3 मार्च 2023 के मध्यस्थ के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें कंपनी को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थ के पास मामले के अंतिम निपटान तक रु. 5 करोड़ की एक निर्धारित राशि जमा करने की आवश्यकता थी और 12 अप्रैल 2023 को मध्यस्थ के उक्त आदेश पर स्थगन प्राप्त करने में सक्षम है। इसके बाद मामले की सुनवाई 9 अगस्त 2023 और 16 अक्टूबर 2023 को हुई, जिस दिन अंतिम बहस शुरू हुई। सुनवाई की अगली तिथि 28 नवंबर 2023 है।

6) खातों की बहियों को फिर से खोलने, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ("एसएफआईओ") और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक जांच, जो कि कुछ समूह संस्थाओं के लिए प्रक्रियाधीन है, का कंपनी के वित्तीय विवरणों/परिचालनों पर कोई प्रभाव नहीं है।

7) कंपनी का केवल एक व्यवसाय खंड है और इसीलए खंडवार जानकारी की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

8) दिनांक 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े जो हैं वे 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और क्रमशः 30 जून 2022 और 30 जून 2023 को समाप्त पहली तिमाही तक प्रकाशित वर्ष–प्रतिवर्ष के आंकड़ों के मध्य संतुलनकारी आंकड़े हैं, जो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा किये जाने के अधीन हैं।

9) उपरोक्त परिणाम, सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों, क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

10) पूर्ववर्ती अवधि/वर्ष के आँकडों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, वहां–वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
धीरज कुमार — कार्यकारी निदेशक — डीआईएन नं. 07046151
हस्ता./– राजीव जैन — मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नोएडा
दिनांक : 9 नवंबर, 2023

तरिणी एन्टरप्राइजेज

सीआईएन : L51101DL2006PLC148967
पंजीकृत कार्यालय : 3/14ए, प्रथम तल, विजय नगर डबल स्टोरी, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-61382621
वेबसाइट : www.tarinienterprises.in, ई-मेल: tarinienterprisespvtltd@gmail.com, info@tarinienterprises.in

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के स्टैण्डएलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

राशि रु. लाख

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	32.95	34.73	86.46	67.68	125.28	335.95
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	20.32	25.2	12.55	45.52	23.48	56.52
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	20.32	25.2	12.55	45.52	23.48	56.52
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	15.04	18.65	9.29	33.69	17.37	33.19
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) हेतु लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	15.04	18.65	9.29	33.69	17.37	33.19
6	इक्विटी शेयर पूंजी	377.3	377.3	377.3	377.3	377.3	377.3
7	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित है						7.55
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) :						
	1. बेसिक :	0.45	0.55	0.28	1	0.52	0.98
	2. डाइल्यूटेड :	0.45	0.55	0.28	1	0.52	0.98

नोट :

(क) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए तिमाही/छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/छमाही वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.msei.in और सूचीबद्ध इकाई यानी www.tarinienterprises.in पर उपलब्ध है। (ख) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय, या किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मद पर प्रभाव का खुलासा एक फुटनोट के माध्यम से किया जाएगा। (ग) खंड रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
कृते तरिणी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
ह./-
अभय चन्द बरदिया
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 00009217

स्थान : दिल्ली
तिथि : 10.11.2023

स्पा कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

पंजी. कार्या: 25, सी–ब्लॉक, सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली–110 058
वेबसाइट : http://www.spacapital.com/CapitalServices/, सीआईएन : L65910DL1984PLC018749
दूरभाष नं. 011–45586600, 45675500, ई–मेल : listing@spacapital.com

30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष एवं तिमाही के एकल एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. करोड़ में, अंशों एवं ईपीएस को छोड़कर)

क्र सं	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2023	समाप्त तिमाही 30 जून 2023	समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2022	समाप्त अर्द्धवर्ष 30 सितंबर 2023	समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2023	समाप्त तिमाही 30 जून 2023	समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2022	समाप्त अर्द्धवर्ष 30 सितंबर 2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	4.582	3.114	3.401	7.696	4.582	3.114	3.401	7.696
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.135	0.109	0.006	0.244	0.135	0.109	0.006	0.244
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	0.135	0.109	0.006	0.244	0.135	0.109	0.006	0.244
4	कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	0.095	0.089	0.004	0.184	0.095	0.089	0.004	0.184
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]	0.095	0.089	0.004	0.184	0.141	0.115	0.005	0.256
6	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	13.23	13.14	12.865	13.23	13.42	13.28	13.165	13.42
7	समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	30,74,225	30,74,225	3074225	3074225	3074225	30,74,225	3074225	3074225
8	आय प्रति अंश मूलभूत :	0.309	0.289	0.01	0.598	0.831	0.374	0.819	0.831
	तरलीकृत :	0.309	0.289	0.01	0.598	0.831	0.374	0.819	0.831

टिप्पणियां :

1. उपरोक्त विवरण, सेबी सूचीकरण विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष एवं तिमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। उक्त अवधि के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (http://www.spacapital.com/CapitalServices/) पर उपलब्ध है।
2. दिनांक 30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्द्धवर्ष एवं तिमाही के कंपनी के वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षक समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा इनका निदेशक मण्डल द्वारा 09 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन किया गया है और इनकी समीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के निबंधनों के अंतर्गत की गई है।

निदेशक मण्डल हेतु एवं उसकी ओर से
हस्ता/–
संदीप परवाल
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00025803

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 नवंबर, 2023

डा. फ्रेश एसेट्स लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1990PLC042302
पंजीकृत कार्यालय : बी–1/ई–24, मोहन को–ऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110044
वेबसाइट : www.drfreshassets.com, मेल आईडी : drfresh@drfreshassets.com

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (अनंतिम) का सारांश

(सभी आंकड़े रु. लाख में हैं, ईपीएस छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2022 (पुनरीक्षित)	समाप्त अर्द्धवर्ष 30.09.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त अर्द्धवर्ष 30.09.2022 (पुनरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	22.97	28.09	28.99	51.06	240.72	294.46
2.	अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	27.58	81.35	81.14	108.93	181.47	131.80
3.	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	27.58	81.35	81.14	108.93	181.47	131.80
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	20.08	61.66	57.44	81.75	135.68	100.21
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	247.88	182.79	321.85	430.67	354.44	256.29
6.	समता अंश पूंजी	1077.91	1077.91	538.96	1077.91	538.96	1077.91
7.	अन्य समतायें						3476.31
8.	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) मूलभूत एवं तरलीकृत (रु.) :	0.19	0.57	0.53	0.75	1.25	0.92

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (अनंतिम) का सारांश

(सभी आंकड़े रु. लाख में हैं, ईपीएस छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2022 (पुनरीक्षित)	समाप्त अर्द्धवर्ष 30.09.2023 (पुनरीक्षित)	समाप्त अर्द्धवर्ष 30.09.2022 (पुनरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	151.89	50.55	122.99	202.43	344.12	530.42
2.	अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	57.76	18.18	60.02	75.94	113.17	108.39
3.	कर पूर्व अवधि हेतु लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	57.76	18.18	60.02	75.94	113.17	108.39
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	53.84	3.08	43.57	56.92	79.09	85.54
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	250.80	164.59	308.00	415.39	320.67	230.37
6.	समता अंश पूंजी	1077.91	1077.91	538.96	1077.91	538.96	1077.91
7.	अन्य समतायें						3201.02
8.	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) मूलभूत एवं तरलीकृत (रु.) :	0.50	0.03	0.40	0.52	0.73	0.79

टिप्पणियां :

1. उपरोक्त सारांश, विस्तृत त्रैमासिक वित्तीय परिणाम है, जिन्हें लेखापरीक्षण समिति द्वारा 09.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में अंगीकृत किया गया है, निदेशक मंडल द्वारा 09.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी समीक्षा की गयी है और इन्हें सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध किया गया है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् (**www.mcx-sx.com**) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (**www.drfreshassets.com**) पर उपलब्ध है।
2. इन वित्तीय परिणामों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के नियम 3 तथा उसके पश्चात् विरचित प्रासंगिक संशोधनगत नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।
3. वर्ष की समयावधि में कंपनी ने एक एलएलपी में 90 प्रतिशत के अंश के साथ साझीदारी में प्रवेश किया है तथा एक नवीन 100 प्रतिशत स्वामित्वधारक सहायक कंपनी में निवेश किया है।
4. पूर्ववर्ती अवधि तथा/अथवा वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं अनिवार्य समझा गया है, वहां पुनर्समूहित अथवा पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
5. निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य। हल की गई शिकायतें : शून्य। लंबित शिकायतें : शून्य।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते डा. फ्रेश एसेट्स लिमिटेड
हस्ता./–
विजय प्रकाश पाठक
पूर्णकालिक निदेशक,
डीआईएन : 07081958

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09–11–2023